(c) The Notification provides for establishment of green and orange category of industries with adequate pollution control. These include manufacture of beedis, soap, milk and dairy products, structural stone goods, stone dressing, polishing bamboo and cane products etc. which are primarily dependent on local resources and manpower.

(d) Yes, Sir.

विद्युत प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी परियोजनाओं को जल्दबाजी में पर्यावरणीय मंजूरी दिया जाना

3699. **श्री चिमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जल्दबाजी में और संबद्ध पर्यावरणीय समिति की सहमति के बिना राज्यों में विद्युत, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी मंजूरी दी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेषत: गुजरात के सन्दर्भ में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकार इन परियोजनाओं में शामिल गंभीर निहितार्थों को मद्देनजर रखते हुए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का विचार रखती है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़): **(क) जी, नहीं।**

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

नजगीरा वन उद्यान की खराब स्थिति

3700. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नजगीरा वन उद्यान में जलाभाव और अन्य कारणों से वन्य प्राणियों का जीवन संकट में है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय किए हैं ताकि भविष्य में इस तरह का संकट न आए?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़): (क) नजगीरा वन्यजीव अभयारण्य अत्याधिक गर्मी के कारण इस वर्ष जलाभाव का सामना कर रहा है। तथापि, वन्यजीवों को कोई खतरा नहीं है क्योंकि ऐहितियाती उपाय किए गए हैं।

(ख) वन्यजीवों को होने वाले खतरे को कम करने के लिए निम्नलिखित ऐहतियाती उपाय किए गए हैं:—

1. कृत्रिम वाटरहोल्स बनाए गए हैं।

2. प्राकृतिक और कृत्रिम वाटरहोल्स को प्रतिदिन भरा जाता है।

3. नगजीरा जलाशय को गहरा करना।

4. आग की घटनाओं को रोकने के लिए निवारक उपाय शुरू किए गए।

"कचरे के हवन में पर्यावरण की आहूति" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

3701. **डा॰ महेश चन्द्र शर्मा:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 अप्रैल, 1997 के "राष्ट्रीय सहारा" में "कचरे के हवन में पर्यावरण की आहूति" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) बेकार बैट्रियों से सीसा निकालने की प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली विषैली गैस एवं अन्य आयातित कचरे के पुनर्प्रयोग/पुर्श्चक्रण से उत्पन्न पर्यावरणीय खतरे से निपटने हेतु सरकार की क्या-क्या योजनाएं हैं;

(ग) क्या इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन नहीं किया जा रहा है; और

(घ) अपशेषों के आयात के संबंध में सरकार की नीति क्या है और विभिन्न देशों से आयात किए जा रहे अपशेषों का देश-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़): (क) जी, हां।

(ख) बेकार बैट्रियों से सीसा निकालने की प्रक्रिया और आयातित कचरे के पुनर्प्रयोग/पुनश्चक्रण से उत्पन्न उत्सर्जनों के नियंत्रण को निम्नलिखित अधिनियमों के विभिन्न उपबंधों द्वारा नियमित किया गया है:

1. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974।

2. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981।

3. परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन हथालन) नियम, 1989 ।

4. रसायनों का विनिर्माण, भंडारण एवं आयात नियम, 1989 ।

5. रसायनिक दुर्घटनाओं के लिए आपातकालीन योजना, तैयारी और प्रतिक्रिया नियम, 1996 ।

6. 1987 में संशोधित कारखाना अधिनियम, 1948 ।

(ग) और (घ) परिसंकटमय अपशिष्टों का आयात परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1989 के नियम-2 के तहत विनियमित किया जाता है। इन नियमों के अनुसार किसी भी देश से भारत में परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात का ढेर लगाने और निपटान करने की अनुमति नहीं है, तथापि, प्रत्येक मामले की गुण-दोष के आधार पर जांच करने के पश्चात ही ऐसे अपशिष्टों के आयात की कच्चे माल के रूप में संसाधित करने/पुनर्प्रयोग के लिए अनुमति है। आयात निर्यात नीति के अनुसार आयात के लिए लाइसेंस विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी किया जाता है। निर्यातक को पर्यावरण और वन मंत्रालय में फार्म-6 में निर्यात और सीमापारीय आवाजाही की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होता है और आयातक को आयात के अनुमोदन के लिए संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवेदन करना होता है। अप्रैल, 1995 के बाद आयात निर्यात नीति में संशोधन किया गया और परिसंकटमय अपशिष्टों को प्रतिबंधित सूची में रखा गया। जुलाई, 1996 से अप्रैल, 1997 के दौरान बैटरी की सीसे की प्लेटों और बैटरी के हत्थों का आयात की अनुमति थी। भारत सरकार बेसल कन्वेंशन का एक सदस्य देश है, इस कन्वेंशन के तहत परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात को इस कन्वेंशन की शर्तों के अनुसार होना है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सात आयातकों को अपशिष्टों के आयात की अनुमति दी हुई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

तथापि, दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में 10.04.96 के पश्चात् मंत्रालय द्वारा किसी भी परिसंकटमय अपशिष्ट के आयात की अनुमति नहीं दी गई है। इसी प्रकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को देश में परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात की अनुमति न देने को कहा गया है। हाल ही में, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिकीय बनाम भारत सरकार की याचिका संख्या 657/95 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 5.5.97 को एक आदेश पारित किया है जिसके ब्यौरों की प्रतीक्षा है।

विवरण

उन यूनिटों की सूची जिन्हें एच डब्ल्यू नियमों के तहत परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात की अनुमति दी गई है।

1. आयातकर्ता: मैसर्स बालमेर लॉरी एंड कम्पनी, कलकत्ता

दिसंबर, 1993 में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए ट्रायल रन के लिए 150 कि०मी० अपशिष्ट तेल के आयात के लिए एकबारगी अनुमति
निर्यातकर्ता देश — दुबई।

2. आयातकर्ता: मैसर्स साउदर्न रिफाइनरीज लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम

1994 में वैक्यूम डिस्टिलेशन प्रौद्योगिकी द्वारा अपशिष्ट तेल रिफाइनिंग के ट्रायल रन प्रदर्शन के लिए 8000 बैरल अपशिष्ट तेल के आयात की एकबारगी अनुमति।
निर्यातकर्ता देश — यूनाइटेड किंगडम।

3. आयातकर्ता: मैसर्स जिंक स्मेल्टसर एंड रिफाइनर्स प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई।

20 जून, 1994 में अवशिष्ट बुरादा (इस्पात मिल बुरादा) वाले 20,000 मीट्रिक टन से अनधिक एकलपारेषण के आयात के लिए एकबारगी अनुमति।
निर्यातक देश — जर्मनी।

4, आयातकर्ता: मैसर्स भारत जिंक लि०, भोपाल।

मैसर्स भारत जिंक लिमिटेड को यूरोप के विभिन्न देशों द्वारा 17,000 मीट्रिक टन जस्ता ऐश/अवशेष/ड्रास/स्क्रेप के आयात पर बातचीत करने की अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि 8.8.94 को जरूरी शिपमैंट ब्यौरे प्रदान करके प्रत्येक पारेषक पर समय-समय पर मंजूरी दी जायेगी। दी गई अनुमति के आधार पर यूनिट के बाद में 14,100 मीट्रिक टन जस्ता अपशिष्ट के आयात किया। जर्मनी से भी आयात की अनुमति 12.5.95 को दी गई थी।
निर्यातकर्ता देश — जर्मनी, नीदरलैंड और स्वीडन।

5. आयातकर्ता: मैसर्स इन्डो - जिंक लि०, धार, मध्य प्रदेश।

8 मई, 1995 को जस्ता ऐश/ड्रास/स्क्रैप वाले 1000 मीट्रिक टन के आयात की अनुमति दी गई थी।
निर्यातकर्ता: नीदरलैंड।

6. आयातकर्ता: मैसर्स एसोसिएटेड पिगमैंट्स लिमिटेड, कलकत्ता।

इस मंत्रालय के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार 11 दिसंबर, 1995 को सीसा ड्रास/अवशेष/स्क्रैप वाले 3,500 मीटरी टन सीसे के आयात के लिए अनुमति दी गई थी। निर्यातकर्ता देश: दक्षिण कोरिया।

7. आयातकर्ता: मैसर्स इंडियन लेड लिमिटेड, बम्बई।

इस प्रयोजन के लिए गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार उनकी ठाणे यूनिट में उपयोग के लिए ड्रास/अवशेष/स्क्रैप के आयात पर बातचीत करने के लिए दिनांक 21 नवम्बर, 1995 को अनुमति दी गई थी। अब तक किसी पारेषण के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है।

*सभी आयातों की अनुमति परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 1989 तथा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत अपेक्षाएं पूरा करने पर दी जाती है।

मथुरा में रासायनिक कारखानों से होने वाला प्रदूषण

3702. **श्री जगदम्बी मंडल:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में जिला मथुरा के तहसील छाता के अंतर्गत गांव बठैन कलां और बठैन खुर्द से मात्र एक कि०मी० की दूरी पर स्थित कुछ रासायनिक फैक्टरियों में से निकलने वाली जहरीली गैस तथा पानी से आस-पास के गांवों में रहने वाले सभी मनुष्यों का जीना मुश्किल हो गया है तथा वहां लोगों के मन में मौत का खौफनाक आतंक बना हुआ है;

(ख) क्या सरकार स्थानीय लोगों में व्याप्त भय को देखते हुए तुरन्त इन फैक्टरियों को बंद करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़): (क) जी, नहीं उत्तर प्रदेश में जिला मथुरा के छाता तहसील के अन्तर्गत गांव बठैन कलां और बठैन खुर्द से एक कि०मी० की दूरी पर स्थित औद्योगिक इकाई मुख्य उत्पाद के रूप में ईथाइल एल्कोहल और उप-उत्पाद के रूप में एल्डीहाइड, ऐसटिक ऐसिड और ईथाइल ऐसीटेट का उत्पादन करती है जिसके लिए वह कच्ची सामग्री के रूप में शीरे का इस्तेमाल करती है। निर्माण की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर जहरीली गैस न तो इस्तेमाल में लाई जाती है और न ही उत्पादित होती है। इस समय डिस्टिलेरी कार्य नहीं कर रही है और केवल रासायनिक इकाई कार्यरत् है। तथापि, इस इकाई से उत्सर्जित हो रहे बहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्धारित मानकों का अनुपालन न करने वाले उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उद्योग ने कारण बताओ नोटिस का उत्तर देते हुए बताया है कि पूर्ण बहिस्राव शोधन संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है।

कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के बाघों द्वारा लोगों और पशुओं को मारा जाना

3703. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के आदमखोर बाघों ने हाल ही में गढ़वाल और कुमाऊं में फिर से अनेक लोगों और पशुओं की जानें ले ली हैं;

(ख) यदि हां, तो मारे गए लोगों तथा पशुओं की संख्या कितनी है और क्या मृतकों के आश्रितों को मुआवज़ा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो सैफुद्दीन सोज़): (क) सरकार को गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में बिडाल जाति के जानवरों (बिग कैट्स) द्वारा लोगों के मारे जाने की जानकारी है, लेकिन वहां लोग 'तेंदुए' द्वारा मारे गए न कि "बाघ' द्वारा जिसे इन क्षेत्रों के निवासियों द्वारा 'बाघ' समझा गया।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जनवरी से मार्च, 1997 तक तीन मास की अवधि के दौरान गढ़वाल क्षेत्र में पांच व्यक्ति और कुमाऊं क्षेत्र में एक बच्चे के मारे जाने की रिपोर्ट मिली है। इसके अलावा, 23 पशुओं के मारे जाने की रिपोर्ट है। मारे गए लोगों के निकटतम संबंधियों तथा पशुस्वामियों को मुआवजा देने के बारे में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है।